रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062022-236584 CG-DL-E-16062022-236584

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944

No. 299]

NEW DELHI TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2022

फा. सं. मानक/टीएफ-वेगन फूड्स/नोटिफिकेशन/एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम 2021 का प्रारूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. संख्या मानक/टीएफ-वेगन फूड्स/नोटिफिकेशन/एफएसएसएआई, तारीख 6 सितंबर, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनका इससे प्रभावित होना सम्भाव्य है उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, साठ दिनों की अविध के अवसान से पूर्व आक्षेपो और सुझावों को आमंत्रित किया गया था;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ 8 सितंबर, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है:

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (वेगन फूड) विनियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे I
- 2. परिभाषाएँ.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

4018 GI/2022 (1)

- (क) 'वेगन फूड' से खाद्य अथवा खाद्य संघटक, जिनमें योजक, सुवासकारी, एन्जाइम और वाहक शामिल हैं, या प्रसंस्करण साधन अभिप्रेत हैं जो पशु मूल के उत्पाद न हों तथा जिनके उत्पादन और प्रसंस्करण के किसी भी चरण में ऐसे संघटकों, जिनमें योजक, सुवासकारी, एन्जाइम और वाहक शामिल हैं, अथवा प्रसंस्करण साधन का प्रयोग न किया गया हो, जो पशु मूल के हों।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इससे प्रयुक्त है, और परिभाषित नहीं है, किन्तु अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमो या विनियमों में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम, नियम या विनियम में है l
- 3. साधारण अपेक्षाएँ.- (1) कोई व्यक्ति किसी खाद्य का वेगन फूड के रूप में उत्पादन, पैकिंग, विक्रय, विक्रय के लिए प्रस्ताव, विपणन अथवा अन्यथा वितरण अथवा आयात नहीं करेगा, जब तक वह इन विनियमों के अधीन कथित अपेक्षाओं का अनुपालन न करे।
- (2) जिन खाद्य उत्पादों को 'वेगन' कहा गया हो, उनके लिए किसी भी प्रयोजन हेतु सुरक्षा आकलन सहित कोई पशु परीक्षण न किया गया हो, जब तक उन्हें विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य न बनाया जाए।
- (3) वेगन फूड के लिए प्रयुक्त हर एक पैकेजिंग सामग्रियाँ पैकेजिंग विनियमों में विहित उपबंधों के अनुरूप हों।
- (4) खाद्य कारोबारी यह सुनिश्चित करेगा कि उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण के सभी चरणों में अच्छी विनिर्माण प्रथाएं के अनुरूप समुचित सावधानियाँ इस प्रकार बरती जाएँ कि उनमें गैर-वेगन पदार्थों की अनाशयित मौजूदगी से बचा जाए l
- (5) यदि एक ही उत्पादन लाइन पर गैर-वेगन उत्पादों या संघटकों का काम होने पर वेगन उत्पादों के उत्पादन से पहले उसे पूरी तरह साफ किया जाए अथवा अच्छी विनिर्माण प्रथाएं के अनुरूप तुलनात्मक उपाय किए जाएँ और यह बात सभी सम्बद्ध मशीनरी, उपस्कर, बर्तनों और सतहों पर लागू होती है।
- (6) खाद्य कारबार आपरेटर को वेगन उत्पादों की तैयारी, उत्पादन अथवा पैकेजिंग से पहले अच्छी विनिर्माण प्रथाएं के अनुसार उचित सावधानियाँ बरतनी चाहिए।
- (7) उनकी उत्पादक के स्तर तक खोजनीयत सुनिश्चित की जाए और खाद्य कारोबारी खाद्य अथवा खाद्य संघटकों अथवा उनके उत्पादों की वेगन प्रकृति को बनाए रखने के लिए खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य अपेक्षाओं का पालन करेंगे।
- (8) प्रत्येक वेगन फूड या संघटक अधिनियम, नियमों और विनियमों के अंतर्गत लागू सभी संबंधित उपबंधों का पालन करेंगे।
- 4. लेबलिंग और प्रदर्शन अपेक्षाएँ.- (1) वेगन फूड का विक्रेता स्वयं में अथवा खुदरा कारोबार के अंग के रूप में ऐसे खाद्य को किसी गैर-वेगन से ऐसी रीति से स्टोर करेगा और उसका प्रदर्श करेगा कि उसकी पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।
 - (2) वेगन फूड के प्रत्येक पैकेज पर अनुमोदन पश्चात निम्न निर्दिष्ट लोगो लगाया जाएगा:



- (3) विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अतिरिक्त सभी वेगन फूड, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के विनियम 5 के उप-विनियम (4) के खंड (ख) को छोड़कर उसमें विहित सभी पैकेजिंग और लेबलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।
- 5. वेगन फूड अनुपालन.- (1) खाद्य कारबार आपरेटर, संबंधित अनुज्ञापन प्राधिकरण के समक्ष खाद्य प्राधिकरण द्वारा यथा विहित प्ररूप में सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन करेगा।
 - (2) खाद्य प्राधिकरण वेगन लोगो के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा ।
- (3) किसी भी वेगन फूड उत्पादों का आयात नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके साथ प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में निर्यातक देशों के मान्यता प्राप्त प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है I

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन III/4/असा./116/2022-23]

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2022

F. No. Std/TF-Vegan Foods/Notif./FSSAI- Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2021, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) *vide* notification of the Food Safety and Standards Authority of India, number F. No. Std/TF-Vegan Foods/Notif./FSSAI, dated the 6th September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notifications were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 8th September, 2021;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (v) of sub-section (2) of section 92 of the said Act and with the previous approval of the Central Government, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations, namely: -

- 1. **Short title and commencement.** (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "vegan food" means the food or food ingredient, including additives, flavourings, enzymes and carriers, or processing aids that are not products of animal origin and in which, at no stage of production and processing, ingredients, including additives, flavourings, enzymes and carriers, or processing aids that are of animal origin has been used.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, or rules or regulations made thereunder shall have the meanings assigned to them in the Act, rules or regulations, respectively.
- **3. General requirements. -** (1) No person shall manufacture, pack, sell, offer for sale, market or otherwise distribute or import any food as vegan food unless they comply with the requirements laid down under these regulations.
- (2) The food products to be called vegan, shall not have involved animal testing for any purpose including safety evaluation, unless provided by any Regulatory Authority.
- (3) Every packaging material used for vegan foods shall comply with the provisions of the packaging regulations.
- (4) The Food Business Operator shall ensure that all stages of production, processing and distribution shall be designed to take the appropriate precautions in conformity with the Good Manufacturing Practices in such a way to avoid the unintended presence of non-vegan substances.
- (5) If the same production line is shared with non-vegan products or ingredients, thorough cleaning or comparable measures in conformity with Good Manufacturing Practices shall be carried out before production of vegan products commences and the same shall extend to all associated machinery, equipment, utensils and surfaces.
- (6) The Food Business Operator shall take appropriate precautions in conformity with the Good Manufacturing Practices before vegan products are prepared, produced or packaged.
- (7) There shall be traceability established up to the manufacturer level and the Food Business Operator shall comply with any other requirements specified by the Food Authority to maintain the vegan integrity of the foods or food ingredients or products thereof from time to time.
- (8) Every vegan food or ingredient shall comply with the relevant provisions, as applicable under the Act, rules and regulations.

[PART III—SEC.4]

- **4. Labelling and display requirements. -** (1) The seller of vegan food either exclusively or as part of retail merchandise shall store and display such food in a manner distinguishable from non-vegan food.
 - (2) Every package of vegan foods, after the approval, shall carry the logo as specified below:



- (3) In addition to the specified requirements, all vegan foods shall comply with the packaging and labelling requirements specified under the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, except clause (b) of sub regulation (4) of regulation 5.
- **5. Vegan food compliance. -** (1) The Food Business Operator shall submit an application to the concerned licensing authority with all necessary details in a format as may be specified by the Food Authority.
 - (2) The Food Authority may specify guidelines for approval of vegan logo.
- (3) No vegan food products shall be imported except with a certificate issued by the recognised authorities of the exporting countries in the format as specified by the Authority is accepted.

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer [ADVT.-III/4/Exty./116/2022-23]